

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-देवगाँव

जानलेवा हमले के 09 नफर वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 14.06.2021 को उ०नि० रंजय कुमार सिंह मय हमराह के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /संदिग्ध वाहन मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की मु०अ०स० 103/2021 धारा 147/148/149/307/452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) रमेश गिरी पुत्र स्व० रामसूरत गिरी (2) प्रभाक गिरी पुत्र रमेश गिरी (3) नागेन्द्र गिरी उर्फ टून्नी गिरी पुत्र जयप्रकाश गिरी (4) शैलेश गिरी पुत्र उमाशंकर गिरी (5) सुरेन्द्र गिरी उर्फ सुब्बन गिरी उर्फ झिनकू गिरी वर्ष (6) प्रवीण गिरी उर्फ बेचन गिरी पुत्र साहबलाल गिरी नि वासीगण सठौली गोपालपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ व मु०अ०स० 104/2021 धारा 307/323/504/506/452 भादवि से सम्बन्धित नामित अभियुक्त (1) अभिषेक राय उर्फ अंजनी राय (2) विशाल राय पुत्र स्व० आशानन्द राय नि वासीगण श्रीकान्तपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उक्त सभी लोग एक जुट होकर गोसाईगंज बाजार मे मारपीट करने कि लिए गोलबन्दी कर रहे है । इस सूचना पर उ०नि० रंजय कुमार सिंह मय हमराह के साथ गोसाईगंज बाजार मे पहुच कर हमराही कर्म०गण की मदद से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित उक्त सभी लोगो को कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 10.10 बजे गोसाईगंज बाजार से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

सम्बन्धित अभियोग

1. मु०अ०स० 103/2021 धारा 147/148/149/307/452/323/504/506 भादवि थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ।
2. मु०अ०स० 104/2021 धारा 307/323/504/506/452 भादवि थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ।

मु०अ०स० 103/2021 सम्बन्धित गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. रमेश गिरी पुत्र स्व० रामसूरत गिरी निवासी सठौली गोपालपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
2. प्रभाक गिरी पुत्र रमेश गिरी निवासी सठौली गोपालपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
3. नागेन्द्र गिरी उर्फ टून्नी गिरी पुत्र जयप्रकाश गिरी निवासी सठौली गोपालपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
4. शैलेश गिरी पुत्र उमाशंकर गिरी निवासी सठौली गोपालपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
5. सुरेन्द्र गिरी उर्फ सुब्बन गिरी उर्फ झिनकू गिरी निवासी सठौली गोपालपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
6. प्रवीण गिरी उर्फ बेचन गिरी पुत्र साहबलाल गिरी निवासी सठौली गोपालपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

मु०अ०स० 104/2021 से सम्बन्धित गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभिषेक राय उर्फ अंजनी राय निवासी श्रीकान्तपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ।
2. विशाल राय पुत्र स्व० आशानन्द राय निवासी श्रीकान्तपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० रंजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़
2. हे०का० निहाल सिंह पटेल थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
3. हे०का० श्याम गौतम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
4. हे०का० अंगद सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
5. का० संतोष यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
6. का० जगनायक सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (7)का० भानू प्रताप यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (8)का० उपेन्द्र यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

थाना-बरदह

900 ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के निष्कर्षण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 13.06.2021 को उ0नि0 शमशाद अली मय राह का0 छोटेलाल गोड के साथ मु0अ0सं0 133/2021 धारा 147,323,452,504,506 भादवि की विवेचना की कार्यवाही के पश्चात देखभाल क्षेत्र करते हुए गोडहरा बाजार से पुरसुडीकी तरफ आ रहे थे जैसे ही पुरसुडी पुल पर आए। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम उदियावाँ की तरफ से आ रहा है जिसके पास गाँजा है और पुरसुडी में किसी को बेचेगा। पुरसुडी से उदियावाँ वाले रास्ते पर ही पकडा जा सकता है। सूचना पर तुरन्त पहले से क्षेत्र में मौजूद ईगल मोबाईल में लगे कर्म0गण का0 सन्तोष यादव व का0 इंग्लेश यादव को तलब किया गया। थोड़ी ही देर में दोनों कर्म0गण उपस्थित आ गये। अब सभी कर्म0गण को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये उ0नि0 मय राह फोर्स के साथ मुखबिर के बताये रास्ते पर आगे बढ़े कि ग्राम उदियावाँ से पहले संजय महाविद्यालय उदियावाँ के रास्ते तिराहा से पहले जैसे ही पहुँचे तो इसी तिराहा की तरफ से हमारी ओर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसके हाथ में प्लास्टिक का झोला है इतने में सामने आता व्यक्ति पुलिस पार्टी को देख कर पीछे मुड कर संजय महाविद्यालय वाले रास्ते की तरफ भागने लगा जिसे पुलिस वालो ने दौड कर घेर कर तिराहा से करीब 50 मीटर की दूरी पर समय करीब 19.40 बजे पकड लिया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम मोनू राजभर पुत्र कैलाश राजभर सा0 ग्राम उदियावाँ थाना बरदह आजमगढ बताया। मौके पर तलाशी अभियुक्त के पास से 900 ग्राम गांजा तथा 350 रूपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 134/21 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

मोनू राजभर पुत्र कैलाश राजभर निवासी ग्राम उदियावाँ थाना बरदह जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 134/21 धारा 8/20 NDPS ACT

बरामदगी

900 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 श्री शमशाद अली मय राह का0 छोटेलाल, का0 संतोष यादव तथा का0 इंग्लेश यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ।

थाना जहानागंज

लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे दिनांक 14.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज श्री अखिलेश कुमार मिश्र मय राह द्वारा मु0अ0सं0134/2021 धारा 376/120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त अविनाश चौहान पुत्र मन्तू चौहान ग्राम सीही थाना जहानागंज आजमगढ को समय करीब 9.30 बजे घर से गिरफ्तार किया गया मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धी की गयी है अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:-अविनाश चौहान पुत्र मन्तू चौहान ग्राम सीही थाना जहानागंज आजमगढ बदरियाफ्त मुकदमा उपरोक्त के संबन्ध में पूछ-ताछ करने पर जुर्म स्वाकीर करते हुए अपनी गलती की बार-बार माँफी मांग रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-मु0अ0सं0134/2021 धारा 376/120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

आपराधिक इतिहास:-मु0अ0सं0134/2021 धारा 376/120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-अविनाश चौहान पुत्र मन्तू चौहान ग्राम सीही थाना जहानागंज आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.SHO अखिलेश कुमार मिश्र थाना जहानागंज आजमगढ
- 2.हे0का0 जगदीश यादव, थाना जहानागंज आजमगढ
- 3.का0 विपिन कुमार पाण्डेय थाना जहानागंज आजमगढ
4. म0का0 प्रियंका पाण्डेय थाना जहानागंज आजमगढ

थाना जहानागंज

चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में दिनांक 13.6.2021 को उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय व उ0नि0 योगेन्द्र पाल मय राह द्वारा मु0अ0स0 135/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु देखभाल क्षेत्र चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति चैकिंग में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त गण 1-इरसाद पुत्र रसूलकमर ग्राम इसलामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ व 2- सोहराब पुत्र स्व0 समीम ग्राम इसलामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के पास से एक अदद चापड़ व एक-एक अदद चोरी की मोटर साइकिल व 85 रुपया व 110 रुपया चिट बन्दी व सम्बन्धित मु0अ0स0 135/21 धारा 379 भादवि व मु0अ0स0 136/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट विरुद्ध इरसाद पुत्र रसूलकमर ग्राम इसलामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ व मु0अ0स0 137/21 धारा 419/420/411/414/467/468 भादवि विरुद्ध 1-इरसाद पुत्र रसूलकमर ग्राम इसलामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ व सोहराब पुत्र स्व0 समीम ग्राम इसलामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- इरशाद पुत्र रसूल कमर ग्राम इस्लामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 10 वर्ष व दरियास जुर्म इकबाल कर बता रहा है कि साहब तथा सोहराब आपस में दोस्त हैं तथा गरीबी के कारण लोग गाय व 27 गाय की बछिया की रात में चोरी करके उसको काटकर मीट को खाते खिलाते हैं दिनांक 06. को तथा सोह 21 राब घर से रात में निकले और मनोज मौर्या ग्राम बनकटा के घर पहुंचे तो देखे कि उनकी गाय व गाय की बछिया दरवाजे पर बधी थी तो तथा सोहराब गाय की बछिया साहिवाल को खुटा से खोलकर समय 01. बजे रात चुपके से लकर चले आये और रात में ही 30 उस गाय की बछिया को काटकर अपने तथा अपने सगे सम्बन्धियों में खिला दिये साहब इस बार गलती हो गयी भविष्य में अब कभी गलती नहीं होगी। बचा लीजिये।

पुछताछ विवरण:- सोहराब पुत्र स्व समीम इस्लामपुर बरहतीर जगदीशपुर 0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष व दरियास जुर्म इकबाल कर बता रहा है कि साहब तथा इरसाद आपस में दोस्त हैं तथा गरीबी के कारण लोग गाय व गाय की बछिया की रात में चोरी करके उसको काटकर मीट को खाते खिलाते हैं दिनांक 10.06. को तथा इरसाद घर से रात में 21 निकले और मनोज मौर्या ग्राम बनकटा के घर पहुंचे तो देखे कि उनकी गाय व गाय की बछिया दर पर बधी थी तो तथा इरसाद गाय की बछिया साहिवाल को खुटा से खोलकर समय 01. बजे रात चुपके से लकर चले आये और रात में ही उस गाय की 30 बछिया को काटकर अपने तथा अपने सगे सम्बन्धियों में खिला दिये साहब इस बार गलती हो गयी भविष्य में अब कभी गलती नहीं होगी। बचा लीजिये।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0स0 135/21 धारा 379 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 136/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

2. मु0अ0स0 137/2021 धारा 419/420/411/414/467/भादवि 468

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इरशाद पुत्र रसूल कमर ग्राम इस्लामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

2. सोहराब पुत्र स्व समीम इस्लामपुर बरहतीर जगदीशपुर 0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

2- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार पाल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

3- का0 ओमकार मौर्या थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

4- का0 अविन्द यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

5- का0 पंकज कुमार यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

6- का0 पवन कुमार सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

थाना- मेहनगर

हत्या के 03 आरोपी आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार

दिनांक 11.06.2021 समय करीब 21.00 बजे ग्राम रामपुर निवासी राजेश सिंह पुत्र रामचेत सिंह के भाई अजीत सिंह व अमरप्रताप सिंह पुत्र रामजीलाल सिंह सा0 रामपुर थाना मेहनगर को ब्रम्हभोज से खाना खाकर आते समय रास्ते में अजीत सिंह पुत्र यदु नाथ सिंह , राहुल सिंह पुत्र हरिवंश सिंह , अंकित सिंह पुत्र उमेश सिंह , शैलेश सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र कमला सिंह सा0 ग्राम रामपुर पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर चाकू से प्राणघातक ला कर दिये जिसमें अजीत सिंह पुत्र रामचेत सिंह की सदर अस्पताल में चिकित्सको द्वारा मृत घोषित कर दिया गया व अमरप्रताप सिंह पुत्र रामजीत सिंह जो घायल हो गया जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है , वादी राजेश सिंह उपरोक्त के लिखित तहरीरपर दिनांक 12.06.2021 समय 10.44 बजे थाना स्थानीय मु0अ0सं0 122/21 धारा 302/307/504/506/34 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत होकर निरी0 अपराध राजेश कुमार मिश्रा द्वारा विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी की विवरण-

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक मेहनगर को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक- 14.06.2021 को निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन तलाश वांछित अभियुक्त व मु0अ0सं0 122/21 धारा 302/307/504/506 /34 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट की विवेचना में मामूर कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की अभियुक्त राहुल सिंह वाराणसी जाने के चक्कर में वाराणसी मार्ग पर कटहन मोड़ पर बस पकड़ने के लिए खड़ा है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके चौकी प्रभारी सिंहपुर को तलब करके मैं निरीक्षण मय फोर्स के कटहन मोड़ की तरफ चला कि जैसे ही पुलिस वाले कटहन मोड़ पर पहुँचे। कटहन मोड़ पर खड़ा व्यक्ति अचानक पुलिस वालों को देखकर कटहन की तरफ जाने लगा कि शक होने पर लगभग 25-30 कदम जाते जाते पकड़ लिया गया। नाम पता तस्दीक कर मुकदमा उपरोक्त में वांछित होने का कारण व जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 08.00 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया।
- **तथा** प्रभारी निरीक्षक सुनील चन्द्र तिवारी मय राह देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र स्व0 यदुनाथ सिंह व अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र उमेश सिंह उपरोक्त आजमगढ़ अपने वकील से मिलने जाने के चक्कर में देवईत बाजार में यूनियन बैंक के सामने सवारी पकड़ने के लिए खड़े है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके प्र0नि0 मय राह वाहन सरकारी के प्रस्थान कर देवईत बाजार की तरफ चला कि जैसे ही पुलिस वाले यूनियन बैंक देवईत बाजार के पास पहुँचे। कि देवईत बाजार यूनियन बैंक के सामने खड़े 02 व्यक्ति अचानक पुलिस वालों को देखकर आजमगढ़ की तरफ जाने लगे कि शक होने पर लगभग 25-30 कदम जाते जाते पकड़ लिया गया। नाम पता तस्दीक कर मु0अ0सं0 122/21 धारा 302 ,307/504/506/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट उपरोक्त में वांछित होने का कारण व जुर्म से अवगत कराते हुए समय करीब 10.35 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण 1. अजीत सिंह पुत्र यदु नाथ सिंह अपने जुर्म से इनकार किये व , राहुल सिंह पुत्र हरिवंश सिंह , अंकित सिंह पुत्र उमेश सिंह , सा0 रामपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सफाई न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से देना बता रहे है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 122/21 धारा 302,307/504/506/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. अजीत सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह 2. राहुल सिंह पुत्र हरिवंश सिंह 3. अंकित सिंह पुत्र उमेश सिंह , सा0 रामपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-01 अदद आलाकत्ल चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक मय राहियान के व निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय राहियान थाना-मेहनगर, आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक गिरफ्तार

अवैध शराब रोकथाम ववांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.06.21 को प्र०नि० गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ०नि० योगेन्द्र प्रसाद मय राह HC रमेश कुमार का० अखिलेश यादव के रवाना होकर देखभाल क्षेत्र , पेंडिंग विवेचना व वांछित अभियुक्तों की तलाश में पैकोली शिवशंकर मोड में भ्रमणशील था कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि मु०अ०सं० 184/21 धारा 272 , 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम व मु०अ०सं० 156/21 धारा 363 , 354, 506 IPC 7/8 पाक्सो एक्टसे संबंधित वांछित अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ गौरव सिंह उर्फ लादेन सिंह पुत्र संजय सिंह सा० मल्लेपट्टी अपने दोस्तों के साथ पैकोली शिवशंकर मोड जाने वाले रास्ते में गैलन में कच्ची शराब जिसमें कुछ मिला भीरहे है। जिससे उसकी तीव्रता बढ़ जा रही है। पीने वालों की भीड़ भी है। यदि जल्दी करे तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर मौके पर मुखबिर व हमराह के साथ पहुँचे। मुखबिर ने कुछ दूरी पहले से ही इशारा कर दिखाया कि जो लोग खड़े हैं और आ जा रहे हैं वही पर अवैध शराब की बिक्री व मिलावट का कार्य कर रहे हैं। मुखबिर दिखाकर चला गया। मय राहियान के भागने वाले लोगों में से घेर घार कर 01 व्यक्तियों को मौके से ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों नाम पता पूछते हुए भागने का कारण जानना चाहा तो क्रमशः एक ने अपना नाम विक्रम सिंह उर्फ गौरव सिंह उर्फ लादेन सिंह पुत्र संजय सिंह सा० मल्लेपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्ति से अवैध अपमिश्रित शराब रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ गौरव सिंह उर्फ लादेन पुत्र संजय सिंह उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए व धारा 272 , 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम का अपराध बताकर समय करीब 06.05 बजे प्रातः पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामद जरीकेन से एक लीटर की बोतल में अवैध अपमिश्रित शराब तथा यूरिया 200 gm व फिटकरी 200 gm बरामद किया गया। अभियुक्त की उम्र पूछने पर करीब 20 वर्ष बता रहा है।

पूछताछ का विवरण- विक्रम सिंह उर्फ गौरव सिंह उर्फ लादेन सिंह पुत्र संजय सिंह सा० मल्लेपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पूछने पर जुर्म स्वीकार करना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 184/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
 2. मु०अ०सं० 156/21 धारा 363, 354, 506 IPC 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
- आपराधिक इतिहास-** अभि०- विक्रम सिंह उर्फ गौरव सिंह उर्फ लादेन सिंह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

क्र.सं.	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1.	184/21	272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	156/21	363, 354, 506 IPC 7/8 पाक्सो एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विक्रम सिंह उर्फ गौरव सिंह उर्फ लादेन सिंह पुत्र संजय सिंह सा० मल्लेपट्टी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
- बरामदगी-** 01 जरीकेन में 20 ली० अवैध अपमिश्रित शराब व यूरिया 200 ग्राम व फिटकरी 200 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह HC रमेश कुमार का० अखिलेश यादव मय हमराह थाना-महाराजगंज , आजमगढ़।